भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 116

(दिनांक 11.02.2021 को उत्तर के लिए)

'सिविल सेवा परीक्षा, 2019 का परिणाम जारी किया जाना'

*** 116 श्री नीरज डांगी:**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षा का परिणाम वर्ष में केवल एक बार ही जारी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2019 का परिणाम दो बार जारी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>"सिविल सेवा परीक्षा, 2019 का परिणाम जारी किया जाना" के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 116 के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क) से (घ) : सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) एक बहु-चरणीय परीक्षा है, जो उन विशिष्ट सीएसई नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक वर्ष में एक बार संचालित की जाती है, जिन्हें प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के लिए अधिसूचित किया जाता है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ-साथ व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण भी शामिल होते हैं।

परीक्षा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अंत में सीएसई के परीणाम की घोषणा करने और विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की अनुशंसा करने के लिए आयोग सभी श्रेणियों में रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखता है। प्रथम दृष्टया, आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा इसमें से विभिन्न श्रेणियों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों की संख्या को घटाकर की जाती है, जो अर्हता अथवा चयन मानदण्डों में किसी रियायत अथवा छूट का लाभ लिए बिना निर्धारित सामान्य अर्हक मानदण्ड के बराबर अथवा उससे अधिक मेरिट प्राप्त करते हैं।

सीएसई-2002 से, प्रथम अवस्था में अनुशंसित उम्मीदवारों के साथ आयोग आगे एक गोपनीय समेकित आरक्षित सूची भी बनाए रखता है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे की मेरिट के क्रम में सामान्य और आरक्षित श्रेणियों की रैंकिंग के उम्मीदवार शामिल होते हैं।

प्रथम अवस्था में अनुशंसित उम्मीदवारों को सेवाओं के आवंटन के पश्चात, आयोग द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भेजी गई संबंधित मांग के अनुसार तदनंतर समेकित आरक्षित सूची से और उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाती है।

सीएसई-2002 से यथा लागू और ऊपर वर्णित इस प्रक्रिया का सीएसई-2019 के मामले में भी अनुपालन किया गया है। प्रथम अवस्था में, इस परीक्षा का परिणाम 829 सफल उम्मीदवारों के लिए दिनांक 04.08.2020 को घोषित किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 04.01.2021 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से मांग प्राप्त होने के अनुसार, आयोग ने सीएसई नियमावली, 2019 के संगत प्रावधानों के अनुसार समेकित आरक्षित सूची से और 89 अनुशंसित उम्मीदवारों की अगली सूची जारी की थी।

******